


छत्तीसगढ़ राजभवन की बड़ी कार्यवाही

» राज्यपाल की नाफरमानी
इस महिला कुलपति को
भारी पड़ गया, हुई बरास्त

रायपुर, 21 जून 2024(ए)। राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन ने अब से थोड़ी देर पहले इतरा गाँवी संगीत में विश्वविद्यालय खेरागढ़ की कुलपति ममता चंद्राकर को बरास्त कर दिया। उनके खिलाफ विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 की धारा 17(ए) के तहत कार्रवाई की गई है। इस धारा के तहत राजभवन के आशें का उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई की जाती है। इस धारा के तहत बरास्त होने वाली ममता चंद्राकर छत्तीसगढ़ की पहली कुलपति होंगी।

ममता चंद्राकर को पिछली भूपेश बघेल सरकार ने संगीत विवि का कुलपति होना था।

अफसरों का कहना है कि संगीत विवि के कुलपति द्वारा राजभवन के निर्देशों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था। पूर्व कुलपति मांजूबी सिंह लिव पर जाना चाहती थी। ममता कुलपति उन्हें एनओसी नहीं डे रही



थी। राजभवन ने कुलपति को निर्देश दिया कि माड़ी सिंह को अनुमति दे दी जाए। ममता आदेश का पालन नहीं हुआ। विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन से भेजे जाने वाले पत्रों का भी ठीक का जवाब नहीं दिया जा रहा था।

चार प्रोसेसर हुए सर्पेंड

पिछले महीने विश्वविद्यालय के चार प्रोफेसरों के खिलाफ शिकायत आई थी। राज भवन ने इस पर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा था। राज भवन के पत्र का जवाब देने की जबाब कुलपति ने

उन चारों प्रोफेसर को सर्पेंड कर दिया। राजभवन को यह काफी नगराव गुजारा। बताते हैं प्रोफेसरों के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए राजभवन में जांच कर्मी गठित की थी। इससे पहले ही कुलपति की नियुक्ति होने तक संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ के कुलपति का दिया गया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ के कुलपति मोक्षद चंद्राकर (ममता चंद्राकर) को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के सचिव यशवंत कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ में नए कुलपति की नियुक्ति होने तक संभाग आयुक्त दुर्ग संभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खेरागढ़ के कुलपति का दिया गया है।

छत्तीसगढ़ में उप चुनाव के तारीख का ऐलान जल्द

» रायपुर दक्षिण सीट रिक्त
होने की अधिसूचना जारी

रायपुर, 21 जून 2024(ए)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नवनियांत्रित सासद बंजोहन अग्रवाल ने राज्य विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी वजह से इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की उल्टी पिण्ठी शुरू हो गई है।

जानकारों के अनुसार विधानसभा या लोकसभा की सीट रिक्त होने की



अधिसूचना जारी किए जाने के 6 महीने के भीतर उस सीट पर उपचुनाव कराया जाना अनिवार्य है। बृजोहन अग्रवाल ने 17 जून को

विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर दिया था। ऐसे में इस सीट को 17 जून से रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब इस सीट पर 17 दिसंबर से पहले उप चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग को पूरी करनी होगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए रिटायर्ड आईएएस अजय सिंह

रायपुर, 21 जून 2024(ए)।

बीजेपी सरकार ने रिटायर्ड अजय सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रियुक्ति दी है। आदेश में लिखा है, क्रमांक एक 10 - 28/2010/1/5 भारत के संविधान के अनुच्छेद आयुक्त करते हैं।

प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह (सेवानिवृत्त) आईएएस 1983 को कार्यस्थान प्रणाली के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन की नियुक्ति करते हैं।



सरकारी जमीन निजी लोगों को आवटित करने के नियम में होगा संशोधन

» शासन ने जनहित याचिका
को लेकर हाई कोर्ट में
दिया जवाब...



बिलासपुर, 21 जून 2024(ए)। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन काल में निजी व्यक्तियों को सरकारी जमीन को जबाब देने के लिए बाबां गए नियम को चुनौती देने वाली याचिका को शासन का जबाब देने के बाद हाईकोर्ट ने निराकृत कर दिया है।

प्रदेश में तकालीन कांग्रेस सरकार ने 11 सितंबर 2019 को 7500 वर्ग फीट तक की सरकारी जमीन निजी व्यक्तियों को आवेदन और नीलामी के आधार पर अवक्तर करने के नियंत्रण दिया था। इसके बिन्दु भाग द्वितीय खेरागढ़ सरकार से जमीन आवेदन कर रही है।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सिंह इत्यादि की ओर से हाईकोर्ट में जननित याचिका लगाई गई थी। इसमें सरकारी भूमि की सूची मांगी थी। हाई

कोर्ट में शासन की ओर से बताया गया कि इस तरह के अवक्तरन से भू माफिया और कुछ उच्च आय वर्ग

के लोगों को ही लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य आय वर्ग के लोग वर्चित रह जाएंगे। इसके अलावा पूर्व विधायक नवीन माकड़े ने भी याचिका लगाई है। फायदा कुछ बड़े करोबार बताए हैं और सरकार अपने लोगों को हजारों वर्ग में फीट जमीन आवेदन कर रही है।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सिंह इत्यादि की ओर से जमीन आवेदन कर रही है।

हाईकोर्ट ने पटवारियों का तबादा आदेश दिया निरस्त

नियम के खिलाफ

भेजे गए थे दूसरे जिलों में

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों को दूसरे जिलों में स्थानान्तरित करने के लिए आदेश को निरस्त कर दिया है। इस

पनविचार किया जा रहा है। इस संबंध में आदेश शीघ्र जारी किया जायगा। शासन के जबाब के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर सभी जमीन आवेदन के दौरान की धारा 10 के तहत पटवारी की नियुक्ति और उनकी सेवाओं पर अधिकार कलेक्टर उनको की दिया गया है। दूसरे जिलों में तबादा को अधिकार राजस्व विभाग को नहीं है। दूसरे जिलों में बदलाव लेकर और प्राकृतिक बदलावों के जरिए शरीर को स्वस्थ बनाने में मददगर साबित होता है। योग ने कलेक्टर होने में स्वस्थ रहना है। योग वासियों ने योग विधायक विभाग में भूमि द्वारा देने की जिम्मेदारी दी है। योग विधायक विभाग में भूमि द्वारा देने की जिम्मेदारी दी है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को नहीं है।

योग विधायक विभाग को नहीं है। योग विधायक विभाग को न